राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 930वी बैठक दिनांक 19.01.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 930वी बैठक दिनांक 19.01.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	10304/2023	1(a)	सागर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	10579/2023	1(a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	11048/2023	1(a)	सिवनी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	11104/2023	1(a)	झाबुआ	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/1790/2025	1(a)	बड़वानी	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/2076/2025	1(a)	उमरिया	पत्थर खदान	विरोधाभाषी अभिमत	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
7.	P2/1155/2025	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	P2/2067/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/2069/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/2077/2025	1(a)	श्योपुर	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/2078/2025	1(a)	होशंगाबाद	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 930वी बैठक दिनांक 19.01.2026 का कार्यवाही विवरण

12.	P2/2079/2025	1(a)	गुना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
13.	P2/1066/2025	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
14.	P2/2082/2025	1(a)	बुरहानपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
15.	P2/1334/2025	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	10457/2023	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
17.	P2/14/2024	1(a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	P2/1823/2025	1(a)	टीकमगढ़	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
19.	8866/2021	1(a)	विदिशा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
20.	P2/2083/2025	1(a)	अनूपपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
21.	P2/1540/2025	1(a)	इन्दौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
22.	5996/2019	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	बैंक गारंटी विमुक्त	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
23.	7401/2020	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	बैंक गारंटी विमुक्त	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 930वी बैठक दिनांक 19.01.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.SIA/MP/MIN/436819/2023, Case No. 10304/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.80 ha., for Production Capacity of 12000 cum per year, at Khasra No. 252, 341, Village-Dhanora Tehsil Bina District Sagar (MP) by Shri Ziya Khan, R/o Village-Bhoransa, Tehsil & District-Vidisha (MP)-464001**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **841वी बैठक दिनांक 03.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 841वी बैठक दिनांक 03.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. 4953 दिनांक 25.04.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.04.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 02 वृक्षों में से काटे जाने वाले 01 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 10 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन **कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खंदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

2. Proposal No.SIA/MP/MIN/440140/2023, Case No. 10579/2023 Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.54 ha., for Production Capacity of 15475 TPA (As per DEIAA EC), at Khasra No. 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 560, 741, Village- Kata Mal., Tehsil-Bichhiya, District-Mandla (MP) by M/s Narmada Mining Corporation, Smt. Sheela Patle, Proprietor, Harka Niwas, Narmada Colony, Dada Dhaniram Ward, Aangan Tiraha, Maharajpur, District-Mandla (MP)-481665

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **841वी बैठक दिनांक 03.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 841वी बैठक दिनांक 03.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **म.प्र. खनिज साधन विभाग द्वारा जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 805/1352/2020/12/2 दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से दिनांक 10.09.2028 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.09.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

3. **Proposal No.SIA/MP/MIN/451019/2024, Case No. 11048/2023, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.62 ha. for Production Capacity of 24510 cum per year, at Khasra No. 82/2, Village-Aloniya, Tehsil-Seoni, District-Seoni (MP) by Shri Pawan Bisen, R/o C.B. Raman Ward, Barapattar, District-Seoni (MP)- 480661**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **841वी बैठक दिनांक 03.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 841वी बैठक दिनांक 03.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी द्वारा पत्र क्र. 1001 दिनांक 03.10.2017 के माध्यम से दिनांक 15.09.2027 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.09.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन हेतु आवंटित कुल 2.62 हे. में से मात्र 1.85 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

4. Proposal No.SIA/MP/MIN/451962/2024, Case No 11104/2023, Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.80 ha., for Production Capacity of 5700 cum per year, at Khasra No. 38, Village-Bheem Faliya, Tehsil-Jhabua, District-Jhabua (MP) by Smt. Lata Merawat, R/o Gram Khachartodi, post- Panchkui, khachhartodi, District Jhabua (MP)-457779

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **841वी बैठक दिनांक 03.11.2025 एवं 765वी बैठक दिनांक 07.06.2024** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 841वी बैठक दिनांक 03.11.2025 एवं 765वी बैठक दिनांक 07.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 05.07.2021 के माध्यम से दिनांक 02.08.2030 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.08.2030 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं मानब बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

5. Proposal No. SIA/MP/MIN/519336/2025,Case No. P2/1790/2025 Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.65 ha., for Production Capacity of Stone 10,000 cum/year, M.sand-10,000 cum/year and Murrum 5000 cum/year, at Khasra No. 46/1, Village – Singun, Tehsil – Rajpur & District - Badwani, (M.P.) by Shri Swapnil Patidar, S/o Shri Ishwar Patidar, R/o 248 Gumasta nagar, Indore (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **846वी बैठक दिनांक 18.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 846वी बैठक दिनांक 18.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ द्वारा आदेश क्रमांक 211 दिनांक 11.06.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.06.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. Proposal No.SIA/MP/MIN/556678/2025, Case No. P2/2076/2025Prior Environment Clearance for Stone mine (Opencast Semi Mechanized Method), in an area of 2.00 Hectare, for Production Capacity of 5,000 Cubic Meter, at Khasra No. 5/1(P), in Village – Pondi, Tehsil – Nowrozabad, District- Umaria (M.P.) by Shri Dilip Khandelwal, R/o Ward Number 11, Nagar Palika Pali, District – Umaria (M.P.)-484551

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

"राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा परिवेश पोर्टल पर 848वी बैठक दिनांक 26.11.2025 का कार्यवाही विवरण अपलोड किया गया है, इस कार्यवाही विवरण के पृष्ठ कमांक 15 पर उल्लेखित है कि "In view of the proposed site at higher elevation and at meandering portion the site is closed to river, the mining activities will certainly disturb the ecology/natural course of the river. The proposed site is enriched with precious tree species and only 0.71 ha. area out of 2.0 ha. is available for mining activities. The mineral is not a precious/uncommon and is available at else where in sizeable quantity. In view of above facts the committee is of considered opinion not to recommend proposed site for mining operation in order to protect the ecology of the area, protection of river catchment, enriched existing trees species catering flow to river etc. In view of above facts the case is not found fit for recommendation of grant of EC, hence case is forwarded to SEIAA for further necessary action.

"इसी कार्यवाही विवरण के पृष्ठ कमांक 99 पर उल्लेख किया गया है कि "Environmental consultant stated that is the west direction Johilla River located at the distance of 70 mt. so , setback of 30 mt. is proposed. Hence the 0.71 ha. mineable area is available. Based on the presentation given by the project proponent, the Environmental Management Plan, and other submitted information being satisfactory and acceptable, the Committee recommends granting Prior Environmental Clearance with specific and standard conditions as per Annexure-A"

उपयुक्त दोनो अंशो का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC के कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्र. 15 पर अनुशंसा नहीं की गई है किन्तु पृष्ठ क्र. 99 पर अनुशंसा की गई है, इस प्रकार SEAC की एक ही बैठक में SEAC ने विरोधाभाषी अभिमत दिया है।

अतः SEIAA द्वारा पूर्ण विचारोपरांत प्रश्नाधीन प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ पुनः परीक्षण के लिये भेजा जाता है कि प्रश्नाधीन प्रकरण में कार्यवाही विवरण के पृष्ठ कमांक 15 पर अनुशंसा नहीं करने एवं अंत में पृष्ठ कमांक 99 पर SEAC द्वारा अनुशंसा करने का आधार बताया जावे एवं विरोधाभाष का कारण भी बताया जावे। SEAC से यह भी अनुरोध है कि, प्रकरण का सूक्षमता से पुनः परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत के साथ SEIAA को प्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

7. **Proposal No.SIA/MP/MIN/556528/2025Case No. P2/1155/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.50 ha., for Production Capacity of Stone (Gitti) 9,000.00 Cum Per Annum and M.Sand 16,000 Cum Per Annum, at Khasra No. 97, 156/1 Peki, Village Lodhipura, Tehsil Dharmpuri, District Dhar (M.P.) by Shri Dharmendra Gangwot, R/o 73, AB road, W.No. - 2, Near Adarsh College, Dhamnod, District Dhar (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **846वी बैठक दिनांक 18.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 846वी बैठक दिनांक 18.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार द्वारा आदेश क्रमांक 3163 दिनांक 09. 12.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.12.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(viii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

8. **Proposal No. SIA/MP/INFRA2/551422/2025, Case No. – P2/2067/2025 Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Residential cum Commercial Project "Divya Aureon" at Khasra No. 161/2/1, 161/2/2, 161/2/3, 161/2/4, 161/3/1, 161/3/2, Village Bhawrasla, Tehsil Malharganj, District Indore (M.P.). Built-up area- 36,258.58 sq. mt., Total plot area- 9,410 sq. mt., Net plot area- 9,290.3 sq. mt. by Shri Narendra Mangwani, Partner M/s Divya Nirman, 3, Jobat Garden, Mayank Blue Water Park Road, Bicholi Hapsi, Indore (M.P.) - 452016.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 846वी बैठक दिनांक 18.11.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. यह प्रकरण प्रस्तावित आवासीय–सह–व्यावसायिक परियोजना "Divya Aureon" खसरा क्रमांक 161/2/1, 161/2/2, 161/2/3, 161/2/4, 161/3/1, 161/3/2,, ग्राम भावरासला, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में विकसित किए जाने हेतु Shri Narendra Mangwani, Partner, M/s Divya Nirman, 3, जोबाट गार्डन, मयंक ब्लू वाटर पार्क रोड, बिचोली हाप्सी, इंदौर (म.प्र.) – 452016 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है।

2. प्रस्तावित परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 9,410 वर्ग मीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल (Built-up Area) 36,258.58 वर्ग मीटर है, जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।

3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 846वी बैठक दिनांक 18.11.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 15 से 28 तक अंकित है।

4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

S.No.	Information Required	Details
1.	**Project Proposal No.**	SIA/MP/INFRA2/551422/2025.
2.	**Project Name/Activity**	SHRI NARENDRA MANGWANI, PARTNER M/s DIVYA NIRMAN, 3, Jobat Garden, Mayank Blue Water Park Road, Bicholi Hapsi, Indore (M.P.) - 452016.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	**Project Cost.**	5200 Lakhs.
4.	**Description of Project**	M/s Divya Nirman is proposing a residential cum commercial project at Khasra No. 161/2/1, 161/2/2, 161/2/3, 161/2/4, 161/3/1, 161/3/2, Village-Bhawrasla,Tehsil- Malharganj, District Indore (M.P.).
5.	**SPCB Comments/ CTE/CTO Validity.**	PCB ID: 170655, Consent No:CTE - 62944, Outward No:-123662,08/09/2025, Consent to Establish up to 31/08/2030. (Building Construction Project- Built-up area [FAR+Non-FAR] 36258.58 Square Meter, Residential Units 231 +15 LIG units & 21 EWS units Commercial Units 66 units).
6.	**Building Permission.**	IMC Indore letter issued vide letter no. PMT/IND/0152/2459/2025 dated 25th June 2025.
7.	**Location Lat./Log.**	Latitude - 22°47'50.40"N Longitude75°51'2.75"E
8.	**Water Supply NoC**	IMC Indore letter No. 3116/Tech/Work/Maint.2/2025-26 dt. 25/09/2025.
9.	**MSW NoC**	IMC Indore letter No. 3162 dated 01/10/2025.
10.	**Extra Treated water NoC**	IMC Indore letter No. 4090/2025-26/Indore dated 25/09/2025.
11.	**Development Permission**	IMC letter no. 7388/Colony Cell/2024 Indore Dated 07/10/2024.
12.	**Joint Venture details**	Joint Venture registered dated 01/07/2022.
13.	**T&CP Approval**	D.N. INDLP INDLP08042432099 Indore dated 28/05/2024.
14.	**Number of vehicle to be parked**	Open Parking- 16 ECS, Stilt Parking- 153 ECS, Podium Parking- 153 ECS, Total Parking- 322 ECS.
15.	**Water requirement details**	Total water requirement -182.68 KLD Fresh water supply – 115.71 KLD.
16.	**DG set capacity**	3 DG sets of total capacity 75 KVA (3×25 KVA).
17.	**Environmental Consultant Change**	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 02/07/2026.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति **(SEAC)**की **846**वी बैठक दिनांक **18.11.2025** की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)**की **930**वीं बैठक दिनांक **19.01.2026** में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु **i** से **xi** को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को **EIA** अधिसूचना **2006** एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

i. **परियोजना स्थल के चारों ओर हरित पट्टी (Green Belt) विद्यमान है जिसके संरक्षण सुनिश्चित करते हुए ही समस्त कार्य किया जाए।**

ii. **प्रस्तुत भूमि दस्तावेजों में समस्त संबंधित खसरा नंबरों की पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाए, जिसमें प्रत्येक खसरे का विवरण (क्षेत्रफल, स्वामित्व, भूमि का प्रकार आदि) स्पष्ट रूप से अंकित हो। उक्त दस्तावेज की प्रति पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। यदि उक्त अनुमति परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

iii. **भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।**

iv. **Rain Water Harvesting Pits की संख्या परियोजना के कुल क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) तथा जल आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित की जाए। वर्तमान में प्रस्तावित 01 RWH Pits अपर्याप्त प्रतीत होते हैं, अतः सक्षम प्राधिकारी/मानक के अनुसार उपयुक्त संख्या में RWH Pits प्रदान किए जाए।**

v. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

vi. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

vii. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

viii. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

ix. परियोजना स्थल के काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

x. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

xi. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/556245/2025, Case No. P2/2069/2025.: Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Residential Project "Goyal Ganga" by M/s Goyal Buildcon is proposing a residential project at Khasra No. 28/1/1, 28/1/2, 28/2/1, 28/2/2 Village- Mayakhedi, Tehsil- Kanadiya, District - Indore (M.P.). Total Plot Area- 15,530 sq.mt., Total Built-up Area - 51,505.26 sq.mt. by Shri Vijay Goyal, Partner, Goyal Buildcon, Plot No 3, Fifth Floor, Scheme No. 54, P.U. 4 Commercial Building, Indore (M.P.) – 452001.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 846वी बैठक दिनांक 18.11.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. प्रस्तावित प्रकरण आवासीय परियोजना "गोयल गंगा" खसरा क्रमांक 28/1/1, 28/1/2, 28/2/1 एवं 28/2/2,, ग्राम मायाखेड़ी, तहसील कनाडिया, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में विकसित किए जाने हेतु श्री विजय गोयल, पार्टनर, M/s गोयल बिल्डकॉन, प्लॉट नंबर 3, पाँचवीं मंजिल, स्कीम नंबर 54, पी.यू.–4 कमर्शियल बिल्डिंग, इंदौर (म.प्र.) 452001 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है।

2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 15,530 वर्ग मीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल (Built-up Area) 51,505.26 वर्ग मीटर है, जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है।

3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 846वी बैठक दिनांक 18.11.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 43 से 57 तक अंकित है।

4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

S.No.	Information Required	Details
1.	**Project Proposal No.**	SIA/MP/INFRA2/556245/2025.
2.	**Project Name/Activity**	SHRI VIJAY GOYAL, PARTNER, GOYAL BUILDCON, PLOT NO 3, FIFTH FLOOR, SCHEME NO. 54, P.U. 4 COMMERCIAL BUILDING, INDORE, (M.P.) - 452001,

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	**Project Proposal For**	Proposed Construction of Residential Project "Goyal Ganga"
4.	**Project Cost.**	5400 Lakhs.
5.	**Description of Project**	M/s Goyal Buildcon is proposing a residential project at Khasra No. 28/1/1,28/1/2,28/2/1,28/2/2 at Village - Mayakhedi, Tehsil - Kanadiya, District - Indore (M.P.).
6.	**Partnership deed details**	Registration date 24/07/2024.
7.	**SPCB Comments/ CTE/CTO Validity.**	➢ PCB ID: 171955, Consent No:CTE-63076, Outward No:123801,22/09/2025, Consent to Establish up to 31/08/2030. ➢ (Residential Multi-Flatted Building Project-Built-up area (FAR + Non-FAR) 51505.26 Square Meter).
8.	**Declaration No Construction start at site**	No Construction start at project site Affidavit Submitted letter dated 29.08.2025.
9.	**Location Lat./Log.**	22°46'43.36"N and 75°55'58.65"E.
10.	**CGWA NOC details.**	APPLICATION CODE / APPLICATION NUMBER 17472 ( ) APPLIED DATE 27/10/2025.
11.	**MSW NoC**	IMC Indore letter No. 225 dt. 10/10/2025.
12.	**Extra Treated water NoC**	IMC Indore letter No. 4061/2025-26/Indore dt. 26/09/2025.
13.	**T&CP Approval**	INDLP19122443609 Indore dated 21/02/2025.
14.	**Land documents details**	Sub Registrar office, Indore -3 dt. 05/11/2024.
15.	**Number of vehicle to be parked**	Open Parking-12 ECS Podium Parking- 188 ECS Stilt Parking-255 ECS Total Parking- 455 ECS.
16.	**Water requirement details**	Total water requirement -179.30 KLD Fresh water supply – 112.17 KLD.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

17.	**DG set capacity**	1 DG sets of total capacity 400 KVA (1×400 KVA).
18.	**Rain water Harvesting Pits.**	2 No.
19.	**Environmental Consultant Change**	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 02/07/2026.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 846वी बैठक दिनांक 18.11.2025 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 930वीं बैठक दिनांक 19.01.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु i से ix को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. **कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जल आपूर्ति हेतु संबंधित सक्षम प्राधिकारी से Water NOC प्राप्त किये जाने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। उक्त अनापत्ति की प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। यदि उक्त अनुमति परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

ii. **Rain Water Harvesting Pits की संख्या परियोजना के कुल क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) तथा जल आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित की जाए। वर्तमान में प्रस्तावित 02 RWH Pits अपर्याप्त प्रतीत होते हैं, अतः सक्षम प्राधिकारी/मानक के अनुसार उपयुक्त संख्या में RWH Pits का विकास किया जाए।**

iii. **भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।**

iv. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

v. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

vi. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल के काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

viii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

ix. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

10. Proposal No.SIA/MP/MIN/555303/2025, Case No. –P2/2077/2025Prior Environment Clearance for Soil Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.281 Hectare, for Production Capacity of 2,000 Cubic Meter, at Khasra No.15/1/1, 16/1/1, 16/4 in Village – Gopalpur, Tehsil - Vijaypur, District – Sheopur (M.P.) by Shri Matadeen Kushawah, R/o 04, Kushwah Mohalla, Sirthayapara, Tehsil-vijaypur, District –Sheopur (M.P.) – 476332

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **848वी बैठक दिनांक 26.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 848वी बैठक दिनांक 26.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर द्वारा आदेश क्रमांक 722 दिनांक 15. 01.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.01.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं मानब बसाहट स्ट्रक्चर से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** सदस्य	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

11. Proposal No.SIA/MP/MIN/513428/2025 Case No. P2/2078/2025 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.0 ha. for Prouciton Capacity of 4998 cum per year, at Khasra No. 142, Village - Nazarpur, Tehsil – Itarsi, District – Hoshangabad (M.P) by Shri Mahesh, R/o Niwasi Gram -Najarpur, Tehsil Itarsi, District-Hoshangabad (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **848वी बैठक दिनांक 26.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर SEAC द्वारा उल्लेखित कार्यवाही विवरण अनुसार लीज क्षेत्र के बैरियर जोन में 500 पौधों का रोपण परिलक्षित नहीं हो रहा है एवं लगाये गये 500 पौधों का जीयोटेक फोटोग्राफ भी परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रश्नाधीन खदान में खनन कार्य किया गया है अथवा नहीं के संबंध में भी SEAC के कार्यवही विवरण में एवं किसी दस्तावेज में उल्लेख नहीं है।

प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में उल्लेख किया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सर्टिफाईट कम्पलाईंस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जबकि पोर्टल पर सर्टिफाईड कम्पलाईंस रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

12. Proposal No.SIA/MP/MIN/548249/2025, Case No. P2/2079/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 Hectare, for Production Capacity of 5,206 M3 /year (3,206 M3 /year Stone & 2,000 M3 /year M-Sand), at Khasra no.175/5, Village Khejda, Tehsil Maksudangarh, Distt. Guna (M.P.) by Shri Ramvilas Maithil, Owner, Gram Ukawad, Maksudangarh, Guna, (M.P.) 473287

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **848वी बैठक दिनांक 26.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर खदान क्षेत्र पास स्थित मानब बसाहट स्ट्रक्चर एवं पक्की सड़क परिलक्षित है जिसमें माननीय एनजीटी के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के परिपालन में ब्लास्टिंग एवं नॉन ब्लास्टिंग हेतु निर्धारित दूरी के दृष्टिगत मानब बसाहट एवं पक्की सड़क से नॉन ब्लास्टिंग हेतु निर्धारित दूरी 100 मीटर तक छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। इसके बावजूद भी SEAC द्वारा प्रकरण में किस आधार पर पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/552188/25, Case No. P2/1066/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for Produciton Capacity of 25000 Cum Per Annumm, at Khasra No. 236, 237, 238, 239 & 241/2, in Village Suwakheda, Tehsil Jawad, District Neemuch (M.P.) by Smt. Devkanya, R/o Gram, Ummedpura, Tehsil Jawad, District- Neemuch MP.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **849वी बैठक दिनांक 02.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान में काफी संख्या में पेड़ दिखाई दे रहे है जिसके संबंध में SEAC द्वारा भी अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में कुल कितने पेड़ है, किस प्रजाति के है तथा पेड़ों के संरक्षण के लिये क्या उपाय किये गये है, एवं पेड़ों को काटने व उनके एवज में 10 गुना वृक्षारोपण (Compensatory Plantation) का प्लान जिला कलेक्टर नीमच से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाये।

2. प्रकरण में 5 कि.मी. की परिधि में की गई स्टडी की रिपोर्ट, सरफेस वाटर/ग्राउण्ड वाटर रिपोर्ट, Soil Profile, Baseline Study Data की जानकारी भी प्रस्तुत की जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

14. Proposal No.SIA/MP/MIN/556406/2025, Case No. P2/2082/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.150 ha. for Production Capacity of Stone – 12,000 cum/year, at Khasra No.- 534 (Private Land), Villageltariya, Tehsil Nepanagar& District: Burhanpur (MP) by Shri Deepak Solanki, Owner, Niwasi-House No.-403 Ward No.-11 Bus Stand Ke Pass Gram DhulkotTehsilnepanagarDist-Burhanpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **849वी बैठक दिनांक** 02.12.2025 **एवं 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की 896वी बैठक दिनांक 17.09.2025 में निरस्त किया जा चुका है। इस बैठक में इसका प्रकरण कमांक 11217/2024 था एवं प्रस्ताव कमांक 443976/2024 था।

प्रकरण कमांक 11217/2024 एवं प्रस्तावक कमांक 443976/2024 में परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक सोलंकी था। इस प्रकरण में SEAC ने अपनी 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 को Appraisal किया एवं EC Grant करने की अनुशंसा की। इस प्रकरण पर SEIAA की 854वी बैंठक दिनांक 07.05.2024 में विचार किया गया था जिसमें SEIAA ने पाया कि **"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान से आबादी 54 मीटर की दूरी पर परिलक्षित है एवं लीज क्षेत्र में कई पेड़ परिलक्षित है जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है साथ ही आवेदन के साथ संलग्न ग्राम पंचायत अनापत्ति भी काफी पुरानी है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार मकानों से निर्धारित 200 मीटर दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में नवीन ग्राम पंचायत का नवीन ठहराव प्रस्ताव प्राप्त कर व लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ों के संबंध में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"** इसके बाद SEAC ने अपनी 785वी बैठक दिनांक 15.04.2025 में प्रश्नाधीन प्रकरण को विचारण में लिया एवं SEAC ने उल्लेख किया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में गलत KML अपलोड हो गई थी, इस बैठक में नवीन KML के आधार पर Appraisal किया गया किन्तु अनुशंसा गलत KML के आधार पर की गई Appraisal (SEAC 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024) को ही यथावत रखा गया। जब KML बदल गया था तो अनुशंसा भी नवीन KML के आधार पर की जाना थी। SEAC ने यह भी नहीं बताया कि गलत KML के आधार पर Appraisal क्यों किया गया। गलत KML अपलोड करने वाले पर्यावरण सलाहकार/आरक्यूपी की जिम्मेदारी भी तय नहीं की गई। प्रकरण अपूर्ण जानकारी के आधार पर प्रकरण SEIAA के समक्ष आने पर SEIAA ने अपनी 996वी बैठक दिनांक 17.09.2025 को SEIAA द्वारा निरस्त कर दिया गया। यदि परियोजना प्रस्तावक SEIAA के उक्त निर्णय से व्यथीत था तो उसे नियमानुसार अपील में जाना था, किन्तु उसने इस प्रकरण का निराकरण हो जाने के बावजूद नवीन प्रकरण क्रमांक P2/2082/2025, प्रस्ताव क्रमांक 556406/2025 के द्वारा पुनः आवेदन किया, जो Resjudicata की श्रेणी में आता है।

SEAC से अनुरोध है कि गलत KML के आधार पर प्रकरण का Appraisal करने का कारण तथा गलत KML अपलोडकर्ता की जिम्मेदारी तय कर SEIAA को अवगत कराया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाता है तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

15. Proposal No.SIA/MP/MIN/534478/2025, Case No. P2/1334/25, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.930 ha., for Production Capacity of 26,000 m3 /year, at Khasra No. 152/1, Village Nayakcharsi, Tehsil- Betul, District- Betul (M.P.) by M/s R.K.A Stones, Prop. Shri Nilesh Agrawal, R/o: Sai Aashiyana, Suyog Colony, Vikas Nagar Betul Tehsil & District Betul, Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **849वी बैठक दिनांक 02.12.2025 एवं 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 849वी बैठक दिनांक 02.12.2025 एवं 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा आदेश क्रमांक 1712 दिनांक 22. 10.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.10.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/538227/2025, Case No 10457/2023 Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. for Production Capacity of Stone-40000, M-Sand-35000 cum per year, Khasra No. 357, Village Ghura,Tehsil Rajnagar, District-Chhatarpur (MP) by Shri Pradeep Khare, Owner, M/s Golden Stones, R/o Jawahar Road, Nowgaon, District-Chhatarpur (MP)-471001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 849वी बैठक दिनांक 02.12.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" .... The committee is convinced with the photographs shown by PP/consultant in support that M-sand plant is not a part of the mining lease area however the query raised also requires document in support of the fact, the Consultant failed to reply the query properly therefor committee is not recommending the case for grant of EC. It is mentioned that earlier two ADS have been availed by PP and consultant. In view of above the third ADS opportunity is not recommended to be availed for the improper reply by PP/Consultant.

In view of above case is not recommended and forwarded to SEIAA for further decision.."

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि SEAC ने अपनी 834वी बैठक दिनांक 10.10.2025 में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान जानकारी चाही गई थी, पर्यावरण सलाहकार मेसर्स विजनटेक इन्वायरमेन्ट द्वारा दिनांक 02.12.2025 को जानकारी प्रस्तुत की गई। SEAC कतिपय बिन्दुओं से सहमत हुई किन्तु Query Reply के दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं होने के कारण SEAC ने इस प्रकरण को Not Recommeded किया है।

SEAC को इस अनुरोध के सााि प्रकरण प्रेषित किया जाता है कि SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से कौन–कौन सी जानकारी चाही गई थी एवं कौन–कौन सी जानकारी परियोजना प्रस्तावक व पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रदान की गई एवं कौन सी जानकारी प्रदान नहीं की गई है इसकी स्पष्ट सूची प्रस्तुत की जावे एवं आवश्यकता अनुसार उक्त जानकारी कलेक्टर जिला छतरपुर से सत्यापन करवाया जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत SEAC द्वारा प्रकरण पुनः परीक्षण कर अपने अभ्मिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

17. Proposal No.SIA/MP/MIN/456970/2023, Case No. P2/14/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. for Production Capacity of 5700 cum per year, at Khasra No. 734/9/1, Village-Atalpur, Tehsil-Badarwas, District-Shivpuri (MP) by Smt. Shashi Dwivedi, R/o- 96, Balvant Nagar Gandhi Road Gwalior, District- Gwalior, (M.P.), Pin- 484440

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **849वी बैठक दिनांक 02.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 849वी बैठक दिनांक 02.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 21.03.2018 के माध्यम से दिनांक 08.02.2028 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.02.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट एवं मुक्तिधाम से न्यूनतम 200 मीटर एवं नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

18. Proposal No. SIA/MP/MIN/542632/2025, Case No. P2/1823/2025 Prior Environment Clearance for Murrum Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for Production Capacity of 20,610 cum per annum, at Khasra No. 15/2 (S) (Part), Village- Barmadang Tehsil- Jatara District Tikamgarh (M.P.) by Shri Vijay Singh Ghosh, S/o Ramcharan Ghosh, R/o 3 Barmadang, Barmadangkhas, PO Barmadang, Distt: Tikamgarh MP, 472339

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **849वी बैठक दिनांक 02.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान में काफी संख्या में पेड़ दिखाई दे रहे है जिसके संबंध में SEAC द्वारा भी अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में कुल कितने पेड़ है, किस प्रजाति के है तथा पेड़ों के संरक्षण के लिये क्या उपाय किये गये है, एवं पेड़ों को काटने व उनके एवज में 10 गुना वृक्षारोपण (Compensatory Plantation) का प्लान जिला कलेक्टर टीकमगढ़ से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

19. Proposal No. SIA/MP/MIN/552583/2025, Case No. 8866/2021 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), an area of 1.494 ha., for Production Capacity of 8,000 cum/year, at Khasra No. 3/1/2, 3/2/1, 3/2/3, 3/2/4, 3/2/5 & 3/2/6, Village: Rampura Khurd, Tehsil: Shamshabad& District: Vidisha & State: Madhya Pradesh by Smt. Deepa Maheshwari, House No.41-42, Data Colony, Airport Road, Bhopal (MP) regarding transfer of Enviroment Clearence to Smt. Surbhi Gupta, C/O: Ram Gopal Gupta, House No.41-42, Data Colony, Airport Road, Bhopal (MP)

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 849वी बैठक दिनांक 02.12.2025 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

.... प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

1. *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ओएम दिनांक 08/06/22 एवं सिया के ओएम दिनांक 30/05/19 एवं 23/01/20 के परिप्रेक्ष्य में रीजनल ऑफिस, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जल वायु मंत्रालय की कम्पलाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत करें।*
2. *म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTO की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।*

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19. 02.2025 के अनुसार 01 वर्ष की अवधि के अंदर किया गया है जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य नहीं है।

उक्त के संबंध में SEAC को सूचित किया जाये कि भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 अनुसार प्रकरण 01 वर्ष की समय–सीमा के अंदर होने के कारण SEIAA के अधिकार क्षेत्र का है फिर किस आधार पर प्रकरण को SEAC की बैठक में निर्णय हेतु रखा गया है के संबंध में अपना अभिमत दे एवं ऐसे समस्त प्रकरण को SEIAA अधिकार क्षेत्र के है उन्हें सीधे ही SEIAA को पोर्टल से अग्रेषित किया जाये।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक Smt. Deepa Maheshwari, House No.41-42, Data Colony, Airport Road, Bhopal (MP) के नाम Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), an area of 1.494 ha., for Production Capacity of 8,000 cum/year, at Khasra No. 3/1/2, 3/2/1, 3/2/3, 3/2/4, 3/2/5 & 3/2/6, Village: Rampura Khurd, Tehsil: Shamshabad & District: Vidisha (MP) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक Smt. Surbhi Gupta, C/O: Ram Gopal Gupta, House No.41-42, Data Colony, Airport Road, Bhopal (MP) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. Identification No. - EC22B001MP158818 दिनांक 15.02.2022 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा का लीज हस्तांतरण आदेश क. 7145 दिनांक 03.12.2024 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 15.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के आधार पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेज के साथ 01 माह में परिवेश पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड किया जाये। **यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

III. **नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं** साधारण शर्तों अनिवार्यतः **परिपालन** सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु **परिवर्तन** मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों **का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय** कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु **परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/548299/2025, Case No. P2/2083/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.0 Hectare, for Production Capactiy of 15,499 Cu.mt/year, at khasra no. No. 544/1/3 (Pvt. Land) Village-Harratola, Tehsil - Pushprajgarh, District- Anuppur (M.P.) by Shri Prashant Choudhary, R/o-Village Harratola, Tehsil- Pushprajgarh, District-Anuppur, (M.P.) 484224

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **849वी बैठक दिनांक 02.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 849वी बैठक दिनांक 02.12.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर द्वारा पत्र क्र. 1703 दिनांक 28.09. 2022 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.09.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

21. Proposal No. SIA/MP/MIN/558520/2025, Case No. P2/1540/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.0 ha. for Production Capacity of Stone (Gitti) 100000.8 Cubic Meter/Annum & M-Sand 25000.2 Cubic Meter/Annum, at Khasra Number- 233, village-Malakhedi, Tehsil-Sawer & District Indore (M.P.) by M/s Ravi Infrabuild Projects Private Limited, Dilip Singh Rao, Director, 95, Hiran Magri Sector-11, Udaipur (Raj)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **855वी बैठक दिनांक 23.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 855वी बैठक दिनांक 23.12.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर द्वारा पत्र क्र. 120 दिनांक 20.01.2025 के माध्यम से अस्थाई अनुज्ञा (02 वर्ष) की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.01.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

22. Case No. 5996/2019 FoR Bank Guaranty Release Case: of Prior Environment Clearance for Construction of Group Housing Project "Signature 360" Total Plot Area = 75,700 sqm., Total Built-up Area = 64,183.93 sqm at Khasra No. 367, 368, 369, 375, 376, 377, 378, 379, 380, Village - Barrai, Tehsil - Huzur & Dist. - Bhopal (M.P.) by M/s Signature Builder & Colonizers, 18-19, Kolar Castle, Chuna Bhatti Square, Dist. Bhopal, (M.P.)

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 781वी बैठक दिनांक 03.04.2025 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"......... The case no. 5996/2019 has been received from the SEIAA through hard file, hence being separately dealt in physical file as details of the case are not available on Parivesh portal."

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया गया कि बैंक गांरटी विमुक्त हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन को प्रकिया निर्धारित है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.03.2018 के परिपालन में बैंक गारंटी के संबंध में लेख किया गया है कि " **for sub-paragraph (7), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:- "(7) The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with the State Pollution Control Board and the quantification will be recommended by the Expert Appraisal Committee for category A projects or by the State or Union territory level Expert Appraisal Committee for category B projects, as the case may be, and finalised by the concerned Regulatory Authority, and the bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and released after successful implementation of the remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after recommendation by regional office of the Ministry, Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee and approval of the Regulatory Authority."** के अनुसार Violation के प्रकरण में जमा बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिवेदन के आधार पर SEAC समिति द्वारा परीक्षण उपरांत अनुशंसा प्राधिकरण को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने हेतु SEAC द्वारा परीक्षण कर अनुशंसा सहित को अग्रेषित किया जाये। अतः प्रकरण की तकनीकी नस्ती पुनः SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

23. Case No 7401/2020 FoR Bank Guaranty Release Case: Prior Environment Clearance for proposed Development & Construction of Residential Project "Singnature City" at Khasra No. 163/1/4, 167/3, 168/3, 163/1/3, 165.3, 166, 167/1, 168/1, 167/2, 168/2, 169/1/2, 169/2, 172/2/1, 163/1/2, 163/1/2, 163/2/3, 163/3/3, 163/4/3 at Village Bagli and Kh. No. 326/2 Bharria P.H. No. 25, Tehsil – Huzur, Distt. Bhopal (M.P.) Total Plot Area – 83370 Sq. Mt// (8.237 ha) Net Planning area – 81923.59 Sq. Mt. Built-up area 61544.075 by Mr. Rajkumar Khilwani, Partner, M/s. Signature Infrastructure Chuna Bhatti Square, Bhopal (M.P.)

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 781वी बैठक दिनांक 03.04.2025 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"......... The case no. 7401/2020 has been received from the SEIAA through hard file, hence being separately dealt in physical file as details of the case are not available on Parivesh portal."

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया गया कि बैंक गांरटी विमुक्त हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन को प्रकिया निर्धारित है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.03.2018 के परिपालन में बैंक गारंटी के संबंध में लेख किया गया है कि " **for sub-paragraph (7), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:- "(7) The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with the State Pollution Control Board and the quantification will be recommended by the Expert Appraisal Committee for category A projects or by the State or Union territory level Expert Appraisal Committee for category B projects, as the case may be, and finalised by the concerned Regulatory Authority, and the bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and released after successful implementation of the remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after recommendation by regional office of the Ministry, Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee and approval of the Regulatory Authority."** के अनुसार Violation के प्रकरण में जमा बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिवेदन के आधार पर SEAC समिति द्वारा परीक्षण उपरांत अनुशंसा प्राधिकरण को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने हेतु SEAC द्वारा परीक्षण कर अनुशंसा सहित को अग्रेषित किया जाये। अतः प्रकरण की तकनीकी नस्ती पुनः SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

<u>अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।</u>

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन व निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट –1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–
   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल,मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वाराप्रकरणमेंजारीपर्यावरणस्वीकृतिमाननीय सर्वोच्चन्यायालय, माननीय उच्चन्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवंअन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशानिर्देशों के अधीनमान्य रहेंगीतथामाननीय सर्वोच्चन्यायालय, माननीय उच्चन्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवंअन्य न्यायालयों द्वाराजारीसभीनिर्देशों/निर्णयोंकाअनुपालनपरियोजनाप्रस्तावक के लियेबाध्यकारीहोगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.

11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.

12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

13. For firefighting:-

a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required .2016fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC

b. The occupancy permit shall be issued by MunicipalCorporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises

14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.

16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover aredesirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping

17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.

18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.

19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.

20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.

21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.

23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/

orhttp://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.